प्रमाणित

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन वार्षिक रिपोर्ट (2020-2021)

तृतीय तल, इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ बिल्डिंग,
वी.के. कृष्णा मेनन भवन, 9 भगवान दास रोड,
नई दिल्ली - 110001

www.icm.gov.in
icm@mea.gov.in

विषय-सूची

भाग	विषय	पृष्ठ
I	पृष्ठभूमि	3
II	संगम ज्ञापन	4
III	विशेषज्ञता के क्षेत्र	6
IV	शासी संरचना	6
V	वर्ष 2020-2021 में प्रारंभ की गई गतिविधियां	8
VI	आईसीएम 2020-2021 में इंटर्नशिप कार्यक्रम	12
VII	वित्त और प्रशासनिक मुद्दे 2020-2021	12
VIII	शासी परिषद के सदस्य	16
IX	इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन में कर्मचारी	17
X	फोटो	18
XI	तुलन-पत्र	21

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन

1. पृष्ठभूमि

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन (आईसीएम) एक पंजीकृत सोसायटी है, जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज एक्ट, 1860 के अंतर्गत स्थापित है और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित सभी मामलों पर विदेश मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय और विचार मंडल के रूप में कार्य करती है। आईसीएम की स्थापना जुलाई 2008 में मंत्रिमंडल की मंजूरी से की गई थी। यह केंद्र अनुभवजन्य, विश्लेषणात्मक और नीति संबंधी अनुसंधान करता है, और अच्छी प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए परियोजनाएं पूर्ण करता है, ताकि सुविज्ञ नीति निर्माण का समर्थन किया जा सके और भारत के लोगों के अंतर्राष्ट्रीय पारगमन के लिए सुसंगत और समरूप प्रतिक्रिया के लिए रणनीतिक पहल ली जा सके।

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन भारत में अपनी तरह का एकमात्र शोध संस्थान है जो विशेष रूप से प्रवासियों के कल्याण और संरक्षण सहित भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से संबंधित मुद्दों की जांच करने और शोध करने के लिए समर्पित है। यह केंद्र विदेश मंत्रालय का अनुदान-सहायता निकाय है और मंत्रालय द्वारा पूर्णत: वित्त-पोषित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने आईसीएम के वित्त वर्ष 2020-2021 के लेखों की प्रमाणन लेखा परीक्षा 07 से 17 सितंबर 2021 तक की थी।

2. संगम ज्ञापन

संगम ज्ञापन में आईसीएम के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए नियम और विनियम का प्रावधान है।

2.1 संगम ज्ञापन के अनुसार कार्य:

1. विश्व में उभरते देश/क्षेत्र विशिष्ट रोजगार के अवसरों पर एक डाटाबेस बनाना और उसका रखरखाव करना।

2. विदेशी श्रम बाजारों में श्रम आपूर्ति के अंतराल को चिन्हित करना और उन कमियों को दूर करने के लिए भारतीय कामगारों द्वारा अपेक्षित कौशल को चिन्हित करना।

3. व्यावसायिक निकायों और निजी क्षेत्र के परामर्श से कौशल विकास और कौशल उन्नयन के लिए कार्यक्रम शुरू करना और विदेशों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना।

4. विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए पूर्व प्रस्थान उन्मुखीकरण कार्यक्रम शुरू करना।

5. राज्य जनशक्ति विकास निगमों, परियोजना जनशक्ति आपूर्तिकर्ताओं और विदेशी नियोक्ताओं सहित अन्य रोजगार संवर्धन एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

6. अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार की प्रवृत्तियों और गतिशीलता, भारत और विदेशों में उत्प्रवासी भारतीय कामगारों के सामने आने वाली समस्याओं, अन्य श्रम भेजने वाले देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को बेंचमार्क करने और नीतिगत पहलों/रणनीतियों की सिफारिश करने के लिए शोध, निगरानी, विश्लेषण और समर्थन करना।

7. कल्याण निधि की संस्थागत व्यवस्थाओं सहित प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए आवश्यक कल्याण सहायता प्रदान करना।

2.2 संगम ज्ञापन के अनुसार मुख्य उद्देश्य

संभावित प्रवासी भारतीय कामगारों को निजी भर्ती उद्योग द्वारा प्रदान की जाने वाली रोजगार सेवाओं के 'उपभोक्ता' के रूप में स्थापित करना।

अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजारों पर शोध करना और भारतीय युवाओं के लिए उभरते विदेशी रोजगार के अवसरों को चिन्हित करना।

भारत को कुशल, प्रशिक्षित और योग्य कामगारों के आपूर्तिकर्ता के रूप में परिकल्पित करना।

भारतीयों के विदेशी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मध्यम से दीर्घकालिक कार्यनीतियां बनाने और निष्पादित करने के लिए 'थिंक टैंक' के रूप में काम करना।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजारों के साथ-साथ विभिन्न श्रम भेजने और प्राप्त करने वाले देशों की रणनीतियों की नियमित रूप से निगरानी, अध्ययन और विश्लेषण करना।

विशिष्ट राज्यों/देश और लैंगिकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा विकसित प्रशिक्षण सामग्री को अनुकूलित करना।

एक श्रम आपूर्तिकर्ता के रूप में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना और उसे बनाए रखना।

प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए आवश्यक आधारित कल्याणकारी योजनाएं बनाना।

3. विशेषज्ञता के क्षेत्र

यह केंद्र प्रमुख कार्यों और उद्देश्यों के आधार पर निम्नलिखित विशेष क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवासन
- प्रस्थान-पूर्व अनुकूलन और प्रशिक्षण
- कौशल उन्नयन और कौशल की पारस्परिक मान्यता
- प्रवासन नीति और प्रवासन का शासन
- प्रवासन प्रबंधन
- प्रवासन विप्रेषण और विकास
- महिला प्रवासी कामगार
- भारतीयों के लिए श्रम बाजार और संभावित अवसर
- सूचना प्रसार और जागरूकता अभियान
- विदेशों में भारतीयों के सुरक्षित, वैध और मानवीय प्रवास से संबंधित सभी मुद्दे

4. शासी संरचना

इस केंद्र में दो स्तरीय निकाय है जिसमें एक शासी निकाय और एक कार्यकारी निदेशालय है।

शासी निकाय के अध्यक्ष विदेश मंत्रालय के सचिव (सीपीवी एंड ओआईए) हैं।
अन्य पदेन सदस्य हैं –

क. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
ख. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
ग. सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और
घ. रोटेशन द्वारा तीन राज्य सरकारों के मुख्य सचिव
ड़. सरकार द्वारा बाह्य नामिति के रूप में चार विशेषज्ञ

कार्यकारी निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी शासी निकाय के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। कार्यकारी निदेशालय में सीईओ और कर्मचारी हैं। वर्तमान में संयुक्त सचिव (ओआईए-I) विदेश मंत्रालय, आईसीएम के सीईओ हैं।

शासी परिषद और कार्यकारी निदेशालय के अलावा, संगम ज्ञापन में शासी परिषद द्वारा बनाई गई नीतियों के प्रभावी संचालन और कार्यान्वयन के लिए शोध/निगरानी, वित्त और प्रशासनिक समितियों का प्रावधान है।

4.1 शासी परिषद की बैठकें

आईसीएम की शासी परिषद् ने वित्त वर्ष 2020-21 तक 9 (नौ) बैठक आयोजित की। बैठक की तिथियां और स्थल निम्नानुसार हैं:

बैठक	दिनांक	स्थल
I	04.09.2008	नई दिल्ली
II	04.02.2009	नई दिल्ली
III	18.10.2011	नई दिल्ली
IV	04.10.2012	नई दिल्ली
V	22.05.2015	नई दिल्ली
VI	04.12.2015	नई दिल्ली
VII	13.02.2017	नई दिल्ली
VIII	06.12.2018	नई दिल्ली
IX	17.12.2020	नई दिल्ली

4.2 कर्मचारी

वर्तमान में आईसीएम में 3 कर्मचारी हैं । संगठन की आवश्यकतानुसार खुले बाजार से अनुबंध आधार पर इनकी भर्ती की जाती है। उन्हें एक या दो साल का अनुबंध दिया जाता है, जिसे निष्पादन के आधार पर नवीनीकृत किया जाता है।

आईसीएम दो कार्य क्षेत्रों अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन और डायस्पोरा संबंधी शोध और प्रस्थान-पूर्वअनुकूलन प्रशिक्षण के लिए इंटर्न भी नियुक्त करता है।

5. 2020-21 में प्रारंभ की गई गतिविधियां

क. राज्य सरकारों के सहयोग से प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) संबंधी कार्यशालाएं

आईसीएम ने एनएसडीसी के सहयोग से सुरक्षित और वैध प्रवास के संबंध में वर्ष 2020-2021 में 1 टीओटी कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में कुल 27 प्रशिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रमाणित किया गया था जो पीडीओ प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए योग्य हैं। कार्यशाला का विवरण तालिका 1 में देखा जा सकता है।

तालिका 1: टीओटी कार्यशालाएं

क्रमांक	राज्य	शहर	कार्यशाला की तिथि	सहभागी [ओआईए-I प्रभाग का समग्र पर्यवेक्षण]	मास्टर प्रशिक्षकों की संख्या (आईसीएम द्वारा प्रमाणित)
1.	दिल्ली	नई दिल्ली	28-29 जनवरी 2021	आईसीएम, एनएसडीसी *	27
				कुल	**27**

*एनएसडीसी-राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

ख. यूरोपीय संघ के साथ कॉमन एजेंडा ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पर तकनीकी सहयोग

आईसीएम, यूरोपीय संघ के साथ टीओटी कार्यशालाओं के अलावा कॉमन एजेंडा ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी (सीएएमएम) के संबंध में भी तकनीकी सहयोग में शामिल रहा है। भारत और यूरोपीय संघ तथा इसके सदस्य देशों के बीच प्रवासन और आवाजाही पर साझा एजेंडा (सीएएमएम) के संबंध में 29 मार्च, 2016 को संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। सीएएमएम, मुख्यत: दोनों पक्षों के लिए प्रवासन और आवाजाही के मामले में एक व्यापक और लचीला विजन दस्तावेज है। आईसीएम प्रवासन और आवाजाही पर भारत-यूरोपीय संघ के उच्च स्तरीय संवाद (एचएलडीएमएम) सीएएमएम के कार्यान्वयन के लिए एक समग्र संचालन तंत्र प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और ब्रसेल्स स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन एंड पॉलिसी डेवलपमेंट (आईसीएमपीडी) यूरोपीय संघ की ओर से इस परियोजना के कार्यान्वयन सहभागी हैं, जबकि भारत की ओर से इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन (आईसीएम) इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन सहभागी है। तकनीकी सहायता परियोजना के संबंध में परियोजना सलाहकार समिति (पीएसी) की तीसरी बैठक 02 जुलाई 2020 को आयोजित की गई थी। पीएसी की बैठक सीएएमएम के सभी चार स्तंभों के संतुलित कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वयन भागीदारों (आईएलओ, आईसीएमपीडी और आईसीएम) द्वारा शुरू की जाने वाली गतिविधियों की निम्नलिखित अनंतिम सूची पर आपसी करार के साथ संपन्न हुई;

- यूरोपीय संघ जाने वाले भारतीयों के लिए प्रस्थान पूर्व अनुकूलन टूल किट

- सर्वोत्तम परिपाटियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रवासी संपर्क के लिए टूल
- यूरोपीय संघ के विश्वविद्यालयों के लिए छात्र चेकलिस्ट और संदर्भ टूल का प्रसार
- महिलाओं और प्रवास के संबंध में पेपर और ब्रीफ

ग. आईओएम के साथ सहयोग

इसके अलावा, आईसीएम ने एक परियोजना पर आईओएम के साथ सहयोग किया है - 'भारत में डेटा-सूचित और प्रवासी केंद्रित प्रवासन प्रबंधन ढांचे को मजबूत करना'। यह परियोजना दो मुख्य परिणामों पर केंद्रित है (i) भारत में माइग्रेशन डेटा संग्रह और प्रबंधन ढांचे को मजबूत करना (ii) यूरोप में उभरते बाजारों में श्रम प्रवास को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए नई पहल का निर्माण। यह परियोजना, सचिव (सीपीवी एवं ओआइए) द्वारा 23 मार्च 2021 को शुरू की गई थी।

घ. सेमिनार और पैनल चर्चायें

आईसीएम ने जनवरी 2020 से शुरू होने वाली अपनी नई शोध पहल के भाग के रूप में विभिन्न पैनल चर्चाओं/परामर्शों का आयोजन किया। इसका विवरण तालिका 2 में उपलब्ध है। इन पैनल चर्चाओं में संबंधित राज्य सरकार के निकायों, औद्योगिक चैम्बर्स, संबंधित कौशल विकास और प्रशिक्षण संस्थानों, संबंधित भर्ती एजेंसियों, प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संगठनों के अनेक प्रतिभागियों और वक्ताओं ने भाग लिया। इन चर्चाओं का उद्देश्य श्रमिक आवाजाही से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करना है।

तालिका 2: सेमिनार और पैनल चर्चाएं

क्र.स.	पैनल चर्चा की तारीख	विषय
1	14 मई 2020	'जीसीसी देशों से लौटने वालों का प्रबंधन: प्रवासन और रोजगार'
2	28 मई 2020	भारत की आवश्यकता बनाम विदेशी मांग की मैपिंग: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का मामला
3	11 जून 2020	कोविड -19 के दौरान कौशल के संबंध में पुनर्विचार: संभावनाएं और चुनौतियाँ
4	25 जून 2020	अंतरराष्ट्रीय प्रवास में महिलाएं: भारत से घरेलू कामगारों का मामला
5	16 जुलाई 2020	उच्च शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय छात्र आवाजाही पर नया खाका
6	30 जुलाई 2020	लिविंग रुट ब्रिज: भारतीय प्रवासी और उनका आर्थिक योगदान
7	13 अगस्त 2020	प्रवासन नीतियों के लिए तथ्य आधारित दृष्टिकोण को सुदृढ़ बनाना
8	27 अगस्त 2020	श्रमिक मध्यस्थों की भूमिका: मसले और चुनौतियाँ
9	10 सितंबर 2020	भारत से उच्च कुशल प्रवासन - भारत ईयू कॉरिडोर का अवलोकन

10	24 सितंबर 2020	कोविड-19 के संदर्भ में भर्ती लागत और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन
11	15 अक्टूबर 2020	गंतव्य देशों में प्रवासी सहायता: निवारण तंत्र का विश्लेषण
12	29 अक्टूबर 2020	अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन में दक्षिण एशियाई तालमेल: सर्वोत्तम परिपाटियों की पहचान
13	10 दिसंबर 2020	भारत में प्रवासन नेटवर्क के निर्माण पर हितधारकों का परामर्श
14	14 जनवरी 2021	सामाजिक संरक्षण के मसले: सामाजिक सुरक्षा करार का विश्लेषण
15	17 फरवरी 2021	पूर्वी एशिया को देखते हुए: अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए उभरते गंतव्य
16	11 मार्च 2021	जीसीसी देशों का बदलता नीति परिदृश्य: कोविड पश्चात विश्लेषण

ङ प्रस्थान पूर्व प्रशिक्षण पर संदर्भ सामग्री

प्रवासी श्रमिकों के पूर्व प्रस्थान अभिविन्यास और प्रशिक्षण की सुविधा के उद्देश्य से निम्नलिखित संदर्भ सामग्री को आईसीएम द्वारा अद्यतन किया गया था-

क्रमांक	मद	भाषा
1	आकांक्षी महिला कामगारों के लिए सुरक्षित प्रवास के संबंध में बुकलेट (संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से)	अंग्रेज़ी
2	कानून प्रवर्तन एजेंसियां, सुरक्षित और कानूनी प्रवास पर हैंडबुक	अंग्रेज़ी
3	जापान में विशिष्ट कुशल कामगार योजना के संबंध में प्रस्थान पूर्व अनुकूलन प्रशिक्षण नियमावली मैन्युअल	अंग्रेज़ी
4	विदेश में अध्ययन के लिए स्टूडेंट हैण्डबुक	अंग्रेजी और हिंदी
5	पीडीओटी, पीबीबीवाई, आईसीडब्ल्यूएफ और एसएसडब्ल्यू पर पोस्टर	अंग्रेजी और हिंदी

च. भविष्य के कार्य क्षेत्र

भविष्य में आईसीएम, प्रस्थान पूर्व अनुकूलन प्रयासों और अनुसंधान गतिविधियों और सहभागिता पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। भविष्य के कार्य क्षेत्रों में शामिल हैं: टीओटी कार्यशालाएं, राज्य के कानून प्रवर्तन अधिकारियों का प्रशिक्षण, भारतीय पेशेवरों के लिए पीडीओ हैंडबुक पर भारत-सीएएमएम के तहत आईएलओ और आईसीएमपीडी के साथ सहभागिता, यूरोपीय संघ के चयनित सदस्य देशों के उद्यमियों और महिला प्रवास पर वेबिनार और स्टडी, माइग्रेशन से संबंधित विषयों पर वर्चुअल पैनल चर्चा, नए देशों को जोड़ने के साथ टीओटी मैनुअल अद्यतन करना, आईओएम के साथ सहयोग परियोजना, जीसीसी देशों में श्रम बाजार पर अनुसंधान और यूरोपीय संघ में श्रम बाजार,

आव्रजन कानूनों, कौशल और अवसरों पर जोर देने के साथ 15 प्रमुख गंतव्य देशों के देश प्रोफाइल, विदेश मंत्रालय के ओआईए प्रभाग की जरूरतों के आधार पर शैक्षणिक / अनुसंधान गतिविधियाँ।

6. आईसीएम 2020-21 में इंटर्नशिप कार्यक्रम

इंटर्न, जो इस साल नियुक्त किये गए थे में सुश्री हीरल उपाध्याय (मार्च 2019 में कार्यभार ग्रहण किया, लेकिन उनका कार्यकाल फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया था), श्री हर्षित राय (सितंबर 2019 में कार्यभार ग्रहण किया), सुश्री सोनाली सिंह (दिसंबर 2020 में कार्यभार ग्रहण किया), सुश्री महक वजावत (दिसंबर 2020 में कार्यभार ग्रहण किया), सुश्री याशना अग्रवाल (दिसंबर 2020 में कार्यभार ग्रहण किया), सुश्री सौम्या अरोड़ा (मार्च 2021 में कार्यभार ग्रहण किया) शामिल हैं ।

7. वित्त और प्रशासनिक मुद्दे 2020-21

क. प्रमुख आयोजित बैठकें

आईसीएम की वित्त समिति की 7वीं बैठक 22 सितंबर 2020 को आयोजित की गई थी। समिति ने विभिन्न राज्य सरकार के निकायों के साथ आयोजित कार्यशालाओं और सीएएमएम जैसे अन्य भागीदारों के साथ चल रही परियोजनाओं के संबंध में आईसीएम द्वारा की गई प्रगति को नोट किया। इस बैठक के दौरान आईसीएम के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर भी चर्चा की गई और आईसीएम के वार्षिक लेखों को मंजूरी दी गई।

ख. वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए सीए की फर्म की नियुक्ति

एमएस वीडी तिवारी एंड कंपनी को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईसीएम के खातों के संकलक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। फर्म ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लेखा परीक्षा पूरी कर ली है और रिपोर्ट वित्त समिति की 7वीं बैठक में प्रस्तुत कर दी गई है और इसे अनुमोदित कर दिया गया है। 7वीं एफसी बैठक में सीए फर्म का कार्यकाल भी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बढ़ा दिया गया है।

ग. एफसीआरए पंजीकरण

आईसीएम ने एफसीआरए (2010) के तहत 1 दिसंबर 2016 को पंजीकरण #231661660 के साथ पंजीकृत किया गया है। पंजीकरण पांच साल के लिए वैध है। आईसीएम को सिंडिकेट बैंक (अब केनरा बैंक), अकबर भवन शाखा, नई दिल्ली के नामित /विशिष्ट बैंक खाते में विदेशी अंशदान प्रस्तुत

करने की अनुमति है। इसके अलावा, आईसीएम को वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में कोई विदेशी अंशदान नहीं मिला है।

घ. प्रधान सीसीए द्वारा लेखा परीक्षा

आईसीएम ने अपने अध्यक्ष की सिफारिश पर आईसीएम की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए प्रधान सीसीए से संपर्क किया है और लेखापरीक्षा के लिए उनकी सहमति प्राप्त कर ली है। 1 दिसंबर 2020 से 4 दिसंबर 2020 तक प्रधान सीसीए द्वारा ऑडिट किया गया और रिपोर्ट प्रदान की गई। आईसीएम ने हर प्रकार की सहायता सुनिश्चित की और प्रभावी लेखापरीक्षा के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए।

ङ. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान

आईसीएम एक सहायता अनुदान प्राप्त निकाय है जो पूरी तरह से विदेश मंत्रालय की राशि से समर्थित है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आईसीएम को कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, आईसीएम के पास प्रतिबद्ध परियोजनाओं के लिए पिछले आवंटन से धन उपलब्ध था और इसे आईसीएम के भावी उपयोग के लिए कोष में परिवर्तित कर दिया गया है। 31 मार्च 2021 को आईसीएम के पास निधियों की स्थिति इस प्रकार है:

क्रमांक	खाते का नाम	खाता नंबर	31 मार्च 2021 को शेष राशि (भारतीय राशि)
1	आईसीएम केनरा बैंक -मुख्य खाता	91462010024313	1,35,73,878.03
2	आईसीएम केनरा बैंक - ओटीएफ खाता	91462010026206	30,564.55
3	आईसीएम केनरा बैंक इंडिया-ईयू ए/सी	91462010027675	60,588.64

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्राप्तियां और भुगतान लेखा नीचे दिया गया है:

प्राप्तियां / आय	रकम (रूपए)	भुगतान/व्यय	रकम (रूपए)
सरकार से प्राप्त	0	टीडीएस	2,81,680
बैंक का ब्याज	13,41,860	अचल सम्पत्ति	1,47,998

आईसीएम खाता : 9,93,906 **ईयू खाता : 3,47,837** **ओटीएफ खाता : 117**			
अन्य आय /प्राप्तियां	19,330	कर्मचारियों को वेतन	26,38,712
उप-योग	**13,61,190**	प्रशिक्षुओं को वजीफा	6,58,089
		वाहन किराया प्रभार	2,57,827
		संगोष्ठी व्यय	-
		भर्ती और विज्ञापन व्यय	-
		आउटसोर्स कर्मचारी	2,70,524
		पैनल / पीडीओटी चर्चा	-
		मुद्रण और स्टेशनरी	86,033
		विविध खर्चे	1,45,296
		मरम्मत एवं रखरखाव	84,741
		सीएजी लेखापरीक्षा शुल्क	3,41,460
		छात्र प्रवास	-
		उप-योग	**49,12,360**
		अचल परिसंपत्तियां	**36,576,773**
बैंक **आईसीएम खाता: 3,71,08,708** **ईयू खाता: 1,62,90,674** **ओटीएफ खाता: 3.503** **नकद: 1,772**	53,404,656	**बैंक** **आईसीएम खाता: 1,31,84,842** **ईयू खाता: 60,590** **ओटीएफ खाता: 30,565** **नकद: 717**	**13,276,713**
जोड़	**54,765,846**	**जोड़**	**54,765,846**

8. शासी परिषद के सदस्य 2020-21

पदेन सदस्य

1.सचिव, सीपीवी और ओआईए, विदेश मंत्रालय - अध्यक्ष
2.सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) या प्रतिनिधि
3.सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय या प्रतिनिधि (एमओएल एंड ई) या प्रतिनिधि
4.सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), या प्रतिनिधि
5. सीईओ, आईसीएम-सदस्य सचिव (संयुक्त सचिव, ओआईए-I, विदेश मंत्रालय)

राज्य सरकारें

1. मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार या प्रतिनिधि
2. मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार या प्रतिनिधि
3. मुख्य सचिव, बिहार सरकार या प्रतिनिधि

मनोनीत विशेषज्ञ

1. श्री. श्याम के जी परांडे, महासचिव, एआरएसपी, नई दिल्ली
2. डॉ अमरजीव लोचन, प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय
3. सुश्री गायत्री कंठ, परियोजना अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ता संगठन
4. श्री. युसुफ अली, अध्यक्ष और एमडी, लुलु ग्रुप इंटरनेशनल, यूएई

9. इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन के कर्मचारी

1.	**डॉ. टी.एल.एस. भास्कर**	**मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सीएओ) *सितंबर 2020 में अनुबंध समाप्त**
2.	डॉ सुरभि सिंह	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सीएओ)
3.	श्री मिनीश मिश्रा	लेखा अधिकारी (एओ)
4.	डॉ प्रियदर्शिका सुब्बा	अनुसंधान सहायक (आरए)
5.	सुश्री हीरल उपाध्याय	प्रशिक्षु
6.	श्री हर्षित राय	प्रशिक्षु
7.	सुश्री महक वजावत	प्रशिक्षु
8.	सुश्री सोनाली सिंह	प्रशिक्षु
9.	सुश्री याशना अग्रवाल	प्रशिक्षु
10.	सुश्री सौम्या अरोड़ा	प्रशिक्षु
11.	एम.एस.एंटरप्राइजेज/स्वास्तिक इलेक्ट्रोटेक (प्रा.) लिमिटेड	कार्यालय परिचारक

10. फोटो

ICM
INDIA CENTRE FOR MIGRATION

आईसीएम - आईओएम परियोजना का शुभारंभ, 23 मार्च 2021

आईसीएम स्थापना दिवस, 30 मार्च 2021

आईसीएम पैनल चर्चा

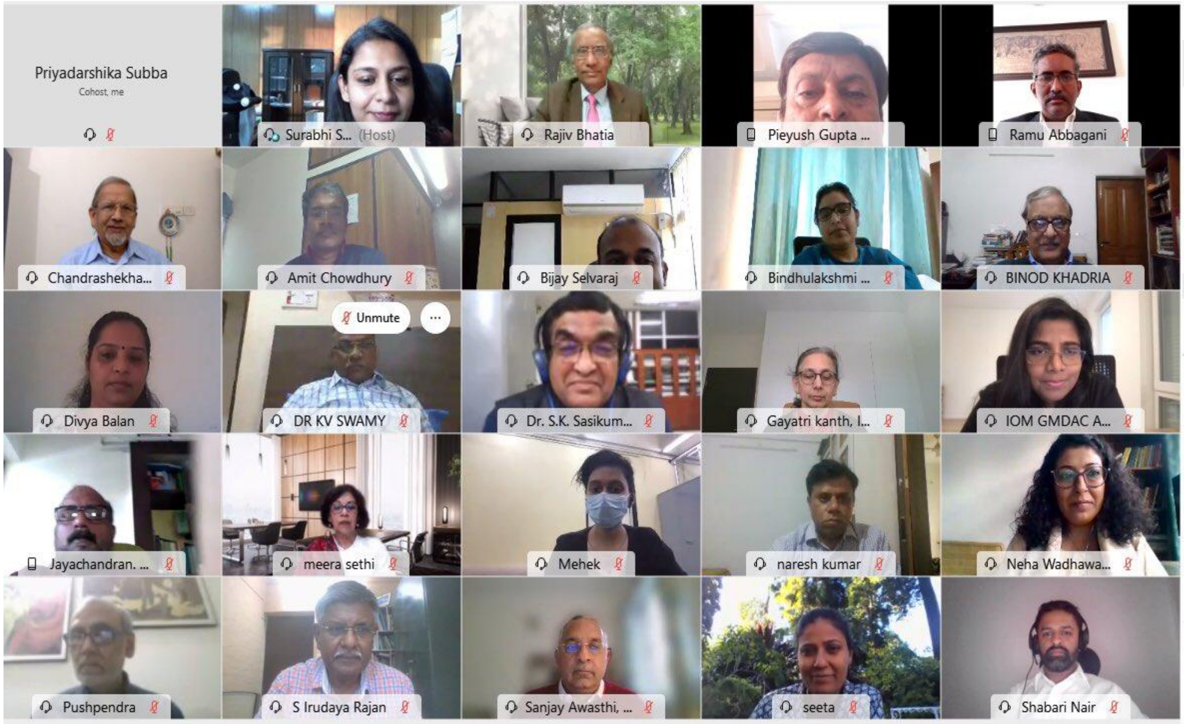

भारत में प्रवासन नेटवर्क के निर्माण पर हितधारकों की परामर्श बैठक, 10 दिसंबर, 2020

अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार के अवसर: स्कैंडिनेवियाई और नॉर्डिक क्षेत्र का आंकलन, 12 अगस्त, 2021

विदेश में अध्ययन हेतु छात्रों के लिए हैण्डबुक

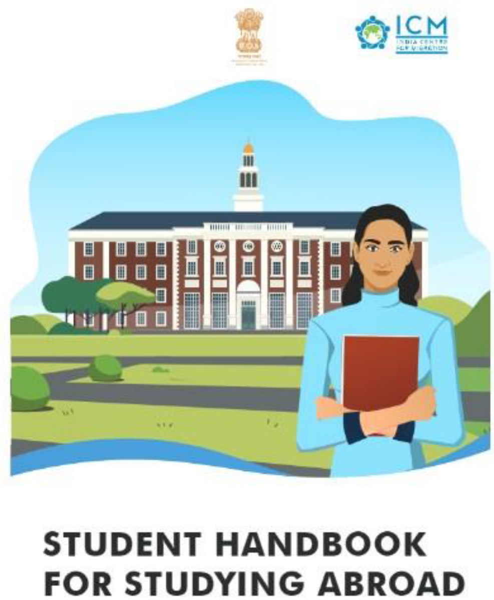

भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर कोविड-19 का प्रभाव के रिपोर्ट

11. तुलन पत्र

	इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन **तृतीय तल, इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ बिल्डिंग,** **वी.के. कृष्णा मेनन भवन, 9 भगवान दास रोड,** **नई दिल्ली - 110001** **31-मार्च-2021 तक का तुलन पत्र**						
	विवरण	**सूची**	**31-मार्च-2021 तक**		**31-मार्च-2020 तक**		
I.	**कायिक/पूंजीगत निधि और देनदारियां**						
1	**कायिक निधि**	1	5,55,92,404	5,55,92,404	5,86,93,341	5,86,93,341	
2	निर्धारित/अक्षय निधि						
	अनुदान सहायता	2	-	-	-	-	
3	वर्तमान देनदारियां						
	(क) अन्य वर्तमान देनदारियां	3	77,906		1,64,443		
	(ग) सुरक्षा जमा राशि		-	77,906	-	1,64,443	
	कुल			**5,56,70,310**		**5,88,57,784**	
II.	**संपत्तियां**						
1	अचल संपत्तियां	4	12,66,514		13,79,593		
	संलग्न सूची के अनुसार			12,66,514		13,79,593	
2	सावधि जमा		36,983,897	39983897	-	-	
					38,32,754		
3	वर्तमान संपत्तियां, ऋण, अग्रिम राशि इत्यादि				2,40,781	40,73,535	
	(क) ऋण एवं अग्रिम राशि	5	38,13,874				

	(ख) जमाराशि	6	3,29,312	41,43,186			
4	(c) नकद एवं बैंक शेष	7	1,32,76,713	1,32,76,713	5,34,04,656	5,34,04,656	
	कुल			**5,56,70,310**		**5,88,57,784**	